राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 378

20 जुलाई, 2016 को उत्तर के लिए

तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना

378. **श्री के. वी. पी. रामचन्द्र राव:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले तथा आंध्र प्रदेश के वाई. एस. आर. जिले में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अधिदेशित रूप में एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की व्यवहार्यता संबंधी जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दोनो परवर्ती राज्यों में एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ग): जी हॉ। आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की तेरहवीं अनुसूची की शर्तो के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को तेलंगाना के खम्मम जिले और आन्ध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता संबंधी जॉच निर्धारित तिथि अर्थात दिनांक 02.06.2014 से छः माह के भीतर पूरी करनी थी। सेल द्वारा व्यवहार्यता रिर्पोट दिनांक 02.12.2014 को प्रस्तुत कर दी गई थी। व्यवहार्यता रिर्पोट के अनुसार इस्पात संयंत्रों की स्थापना प्रथम दृष्टया वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।

***